2 . 38

राजस्व मंडल ग्वालियर रीवा कैम्प

न्यायालय ~~श्रीमान् अपर आयुक्त~~ रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

कामिश्नर ऑफिस
रीवा संभाग, रीवा (म0प्र0)
18 SEP 2014
अधीक्षक कमिश्नर

COURT FEE
20 Rs.
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

R. 3505 - III/14

सुरेश प्रसाद दुवे तनय स्व0 रामप्रताप दुवे निवासी ग्राम चौड़ियार जिला रीवा (म0प्र0) -----------अपीलांट

672
22.9.14

बनाम्

1. अभिराज प्रसाद तनय रामसुमिरन डा0 निवासी ग्राम चौड़ियार तहसील गुढ जिला रीवा (म0प्र0)
2. शासन (म0प्र0) --------- उत्तरवादीगण

560
18/9/14

Submitted by Shri... अमिताभ चतुर्वेदी 18-9-14
Advocate Applicant

Sr. ... Commissioner's office
Rewa Division
Rewa (M.P.)
18/9/14

... II

निगरानी ~~अपील~~ बिरुद्ध आज्ञा श्री अनुविभागिय अधिकारी तहसील गुढ जिला रीवा (म0प्र0) बाबत् राजस्व अपील क्रमांक – 20A/6A/2013-14 आदेश दिनांक 15/09/2014

अपील अन्तर्गत धारा ~~44(1)~~ 50 म0प्र0 भू0राजस्व संहिता।

3228 मान्यवर,

आज प्राप्त
29-9-14

अपील के आधार निम्नलिखित है :-

1. यह कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत है।
2. यह कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण उपलब्ध लैखिक साक्ष्य एवं अपीलांट के शपथ पत्र पर विचार न करते हुये धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र मन्जूर करने मे अहम भूल की है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3505–तीन/2014 जिला रीवा

सुरेश प्रसाद दुबे विरूद्ध अभिराज प्रसाद आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–6–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुढ जिला रीवा के प्रकरण कमांक 20/ए–6–ए/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 15–09–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने उभय पक्ष के सुनने एवं सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन के पश्चात अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में मान्य किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश में किसी प्रकार की कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	